समयबद्ध / अति महत्वपूर्ण

संख्या ~~भा0स0~~ 4340 / 9 1 17 73सा / 201

प्रेषक,

बृजेन्द्र सिंह

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0, लखनऊ।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.

3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ:दिनांक 22 सितम्बर, 2017

विषयः– सीवर एव सेप्टिक टैंक की सफाई मे नियोजित सफाई कर्मचारियों को Manual Scavengers and Rehabilitation Act,2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और सुरक्षा उपकरणों / उपस्करो को उपलब्ध कराने तथा जीवन बीमा पालिसी कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–भा0स0 02 / 9 1–14–73 सा / 14, दिनांक 01 जुलाई, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमे Manual Scavengers and Rehabilitation Act,2013 की धारा–33 एवं रिट पिटीशन संख्या–583 / 2003 सफाई कर्मचारी आन्दोलन व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–3–2014 में नियोजक द्वारा सीवर सफाई में नियोजित सफाई कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों / उपस्करों को उपलब्ध कराकर सफाई कार्य कराने तथा मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता रूपया दस लाख प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 01 जुलाई, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन नगर निगमो, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में नहीं किया जा रहा है, जो खेदजनक है। शासन के संज्ञान में आया है कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सीवर एवं सैप्टिक टैंक की सफाई में नियोजित सफाई कर्मचारियों को संरक्षात्मक साधनों और आधुनिक उपकरणो / उपस्करों को बिना उपलब्ध कराये सफाई कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण अनेक धटनायें घटित हो रही है।

अतः समस्त नगर निगमो, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने निकायों की सीवर एव सेप्टिक टैंक की सफाई मे नियोजित सफाई कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणो / उपस्करों तथा बचाव हेतु सुरक्षा पूर्वाधानियों के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित माडल नियम में दिये गये उपकरणो / उपस्करों को उपलब्ध कराते हुए समस्त निकायों द्वारा सीवर एवं सैप्टिक टैंक की सफाई कराना सुनिश्चित करने तथा उक्त सीवर सफाई कार्मिकों का दस लाख रूपये की जीवन बीमा पालिसी कराने का कष्ट करें। उक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, इसमे लापरवाही बरतने वाले संबंधित के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(बृजेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,उ.प्र.।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,उ.प्र.।
5. समस्त महाप्रबन्ध, जलकल / जलसंस्थान, उ.प्र.,
6. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ।
7. समस्त अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत(द्वारा जिलाधिकारी)
8. समस्त नगर विकास अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।